डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 158] रायपुर, शनिवार, दिनांक 28 जुलाई 2001—श्रावण 6, शक 1923

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 जुलाई 2001

अधिसूचना

क्रमांक 43/3921/सा.प्र.वि./6/2001.—म. प्र. लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1981 (क्र. 37 सन् 1981) की धारा 13-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, लोकायुक्त की सिफारिश पर, राज्य सरकार एतद्द्वारा बिलासपुर जिले की जिला सतर्कता समिति में, दिनांक 16-7-2001 से श्री पी. तिर्की, सेवानिवृत्त, संयुक्त कलेक्टर को उक्त समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. सी. सूर्या, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 28 जुलाई 2001

क्रमांक 44/3921/सा.प्र.वि./6/2001.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 43/3921/सा.प्र.वि./6/2001 दिनांक 28-7-2001 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के अधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. सी. सूर्या, उप-सचिव.

Raipur, the 28th July 2001

NOTIFICATION

No.43/3921/G.A.D./6/2001.—In exercise of the powers conferred by Section 13-A of the Madhya Pradesh Lok Ayukta Evam Up-Lok Ayukta Adhiniyam, 1981 (No. 37 of 1981), on the recommendation of the Lok Ayukta, the Government of Chhattisgarh hereby appoints Shri P. Tirkey, Retd. Joint Collector as the member of District Vigilance Committee of Bilaspur District from 16-7-2001.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
P. C. SURYA, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 28 जुलाई 2001

अधिसूचना

क्रमांक 45/4717/सा.प्र.वि./6/2001.—म. प्र. लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1981 (क्र. 37 सन् 1981) की धारा 13-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, लोकायुक्त की सिफारिश पर, राज्य सरकार एतद्द्वारा बिलासपुर जिले की जिला सतर्कता समिति में, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से श्री एम. खाखा, सेवानिवृत्त, संयुक्त कलेक्टर को उक्त समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. सी. सूर्या, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 28 जुलाई 2001

क्रमांक 46/4717/सा.प्र.वि./6/2001.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 45/4717/सा.प्र.वि./6/2001 दिनांक 28-7-2001 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के अधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. सी. सूर्या, उप-सचिव.

Raipur, the 28th July 2001

NOTIFICATION

No.45/4717/G.A.D./6/2001.—In exercise of the powers conferred by Section 13-A of the Madhya Pradesh Lok Ayukta Evam Up-Lok Ayukta Adhiniyam, 1981 (No. 37 of 1981), on the recommendation of the Lok Ayukta, the Government of Chhattisgarh hereby appoints Shri M. Khakha, Retd. Joint Collector as the member of District Vigilance Committee of Bilaspur District from joining date.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
P. C. SURYA, Deputy Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.